न्यायालय सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी, औसियां

पीठासीन अधिकारी – **श्री राजकेश मीणा, आर.ए.एस.**

याचिका पत्र संख्या– 128ए / 2021

प्रार्थीनी:–

मेरादेवी पत्नी श्री मांगीलाल, जाति भील, निवासी नेवरा, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण:–

1 अणदाराम पुत्र श्री चोथाराम
2 मूलाराम पुत्र श्री चोथाराम
3 पप्पुराम पुत्र श्री चोथाराम
4 विशनाराम पुत्र श्री चोथाराम
5 किशोर पुत्र श्री चोथाराम
6 धापुदेवी पत्नी श्री चोथाराम
7 अलु पुत्री श्री रामुराम
8 गीता पुत्री श्री रामुराम
9 चम्पा पुत्री श्री रामुराम
10 पुष्पा पुत्री श्री रामुराम
11 मूमल पुत्री श्री रामुराम
12 संतोष पुत्री श्री रामुराम
13 सोहनी पुत्री श्री रामुराम
14 हरखु पत्नी श्री रामुराम
15 ढलाराम पुत्र श्री शंकरराम
16 शेराराम पुत्र श्री शंकरराम
17 सुमाराम पुत्र श्री शंकरराम
18 चिड़ीदेवी पत्नी श्री शंकरराम
19 ढलाराम पुत्र श्री भोमाराम
20 माधुराम पुत्र श्री भोमाराम नाबालिग वली माता श्रीमति गंगली पत्नी श्री भोमाराम
21 गंगली पत्नी श्री भोमाराम
22 गीता पुत्री श्री भोमाराम
23 सीमा पुत्री श्री भोमाराम
24 रूपाराम पुत्र श्री लुणाराम
25 बलुराम पुत्र श्री लुणाराम
26 पिन्टुराम पुत्र श्री लुणाराम
27 भपुदेवी पत्नी श्री लुणाराम
28 मीमो पुत्री श्री लुणाराम
29 नेनी पुत्री श्री लुणाराम
30 निकु पुत्री श्री लुणाराम
31 झमुदेवी पुत्री श्री लुणाराम
32 कालीदेवी पुत्री श्री लुणाराम
33 ओमाराम पुत्र श्री खेमाराम
34 धनी पत्नी श्री नरूराम
35 लक्ष्मणराम पुत्र श्री जोराराम

Scanned with OKEN Scanner

36 सीता पत्नी श्री सुजाराम
37 दिनेश पुत्र श्री शेराराम
सभी जाति भील, निवासी नेवरा तहसील ओसियां, जिला जोधपुर
38 श्रीमान् तहसीलदार ओसियां।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

निर्णयः–

दिनांकः– 7/9/2022

प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 1668 रकबा 2.3229 हैक्टेयर, ग्राम नेवरा, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई है। जमाबन्दी संवत 2070–2073 व 2074–2075 की जमाबन्दी की प्रतियां प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। उपर्युक्त भूमि के खातेदार ढलाराम, शेराराम, सुमाराम, पिसरान शंकरराम, चिड़ीदेवी पत्नी श्री शंकरराम के 2/9 हिस्से में से 1/4 यानि सम्पूर्ण का 1/18 हिस्सा प्रभावित रकबा 15 बिस्वा 19 बिस्वांशी, ढलाराम पुत्र श्री भोमाराम, माधुराम पुत्र श्री भोमाराम, गीता, सीमा पिता भोमाराम, गंगली पत्नी श्री भोमाराम 2/9 हिस्से में से 1/4 यानि सम्पूर्ण का 1/18 हिस्सा प्रभावित रकबा 15 बिस्वा 19 बिस्वांशी, मोमोदेवी, नेमीदेवी पुत्री श्री लुणाराम के 4/81 हिस्से की सम्पूर्ण प्रभावित रकबा 14 बिस्वा 03 बिस्वांशी का कारकूट बेचान भपूदेवी पत्नी श्री लुणाराम के अपने 2/81 हिस्से की सम्पूर्ण भूमि में से 1/4 हिस्सा का बेचान यानि सम्पूर्ण भूमि का 1/162 हिस्सा की जमीन रकबा 1 बिस्वा 15 बिस्वांशी का बेचान इस प्रकार कुल 1/6 हिस्सा प्रभावित रकबा 2 बीघा 07 बिस्वा 16 बिस्वांशी भूमि प्रार्थीया द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बेचान नामा खरीद की गई। जिसका बेचान नामा उप पंजीयक कार्यालय ओसियां में पंजीबद्ध है। जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 2145 दिनांक 06.02.2018 को स्वीकृत किया जाकर प्रार्थीनी का नाम जमाबन्दी संवत् 2070–2073 में दर्ज किया गया तथा बेचान अनुसार ही प्रार्थीनी का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि का वर्तमान में सेग्रीगेशन के तहत ऑनलाईन राजस्व रेकर्ड दर्ज करते वक्त राजस्व कर्मचारियों द्वारा भूलवश प्रार्थीया का नाम दर्ज करने से छोड़ दिया तथा सेग्रीगेशन में खातेदारों के हिस्से गलत दर्ज कर दिये गये। मेरादेवी पत्नी श्री मांगीलाल द्वारा खातेदार ढलाराम, शेराराम, सुमाराम पिसरान शंकरराम, चिड़ीदेवी पत्नी श्री शंकरराम के 2/9 में से 1/4 यानि सम्पूर्ण का 1/18 हिस्सा प्रभावित रकबा 15 बिस्वा 19 बिस्वांशी, ढलाराम पुत्र श्री भोमाराम, माधुराम पुत्र श्री भोमाराम, गीता, सीमा पिता भोमाराम, गंगली पत्नी श्री भोमाराम 2/9 हिस्से में से 1/4 यानि सम्पूर्ण का 1/18 हिस्सा प्रभावित रकबा 15 बिस्वा 19 बिस्वांशी, मीमोदवी, नेमीदेवी पुत्री श्री लुणाराम के 4/81 हिस्से की सम्पूर्ण प्रभावित रकबा 14 बिस्वा 03 बिस्वांशी का कारकूट बेचान भपूदेवी पत्नी श्री लुणाराम के अपने 2/81 हिस्से की सम्पूर्ण भूमि में से 1/4 हिस्सा का बेचान यानि सम्पूर्ण भूमि का 1/162 हिस्सा की जमीन रकबा 1 बिस्वा 15 बिस्वांशी का बेचान इस प्रकार कुल 1/6 हिस्सा प्रभावित रकबा 2 बीघा 07 बिस्वा 16 बिस्वांशी भूमि प्रार्थीया द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बेचान नामा खरीद से जमाबन्दी में दर्ज हुआ। खातेदार भपूदेवी पत्नी लुणाराम ने अपना उक्त हिस्सा सीता पत्नी श्री सुजाराम व धनी पत्नी नरूराम को बेचान कर दिया। रूपाराम व कालीदेवी पिता लुणाराम ने ओमाराम पुत्र श्री खेमाराम तथा शेराराम पुत्र लुणाराम ने लक्ष्मणराम पुत्र जोराराम को प्रार्थीया के खरीद के बाद बेचान किया हुआ है। उक्तानुसार खातेदार व खरीददार के हिस्से दर्ज होने थे जो नहीं किये तथा प्रार्थीया का पूर्व जमाबन्दी चौसाले में दर्ज अनुसार नाम भी चालू चौसाले में नहीं दर्ज किया गया जिसे दर्ज करवाने व हिस्से सही दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। उक्त राजस्व रेकर्ड मे राजस्व कर्मचारियों की गलती से दर्ज होने से रहा प्रार्थीया का नाम दर्ज करने तथा सभी खातेदारों के सही हिस्से दर्ज करने हेतु तहसीलदार ओसियां को निवेदन किया तब प्रार्थीया को बताया कि उक्त त्रुटि सुधारने बाबत उपखण्ड अधिकारी ओसियां से आदेश लेना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थीया ने मजबुरन यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया है जो माननीय न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार का है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 1668 रकबा 2.3229 हैक्टेयर ग्राम नेवरा की वर्तमान जमाबन्दी में प्रार्थीया का नाम पूर्व जमाबन्दी अनुसार दर्ज किया जाकर प्रार्थीया 1/6 हिस्सा दर्ज कर उक्त हिस्से अनुसार खातेदारों के हिस्से दर्ज कर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावे।

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में बताया गया कि ग्राम नेवरा, तहसील ओसियां में स्थित खसरा नम्बर ... रकबा 2.3229 है के खातेदारों से प्रार्थी ने 2 बीघा 7 बिस्वा, 16 बिस्वांशी भूमि क्रय की थी। ...स्टर्ड बेचाननामे के आधार पर दिनांक 06.02.2018 को नामातंरकरण संख्या 2145 प्रार्थी के पक्ष में ...कार किया गया। प्रार्थी का राजस्व रिकॉर्ड/जमाबंदी संवत् 2070/73 में खातेदार के तौर पर नाम ... किया गया। परंतु डी.आई.एल.आर.एम.पी. के तहत राजस्व रिकॉर्ड को डिजिटल करते वक्त ...जस्व कर्मियों की गलती से प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने से रह गया। प्रार्थी उपरोक्त ...र्थी खरीद की गई भूमि पर आज दिनांक को काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण की तरफ से कोई ...वाब पेश नहीं किया गया। तहसीलदार ओसियां से रिपोर्ट मंगवाई गई। रिपोर्ट के अवलोकन एवं ...र्थी अधिवक्ता की बहस के आधार पर न्यायालय निम्न निष्कर्ष पर पहुंचा। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में ...र्गत खसरा संख्या 1668 के विभिन्न खातेदारों से 2 बीघा 07 बिस्वा 16 बिस्वांशी भूमि क्रय की ...सका स्पष्ट वर्णन रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में स्पष्ट उल्लेख है। तहसीलदार रिपोर्ट में प्रार्थी को उपरोक्त भूमि पर कब्जा काश्त होना बताया गया एवं वादिनी का खसरा संख्या 1668 रकबा 2.3229 है ... 1/6 हिस्सा दर्ज किया जाना उचित बताया। अतः न्यायालय राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव किया जाना उचित समझता है।

–:आदेश:–

ग्राम नेवरा, तहसील ओसियां के खसरा नम्बर 1668 रकबा 2.3229 हैक्टेयर के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव कर विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थीनी का 1/6 हिस्सा दर्ज किया जाकर आवश्यक सुधार किया जाये। विक्रय पत्र को आदेश का अभिन्न अंग समझा जाये। तहसीलदार ओसियां को पालनार्थ तहरीर जारी हो।

राजकेश मीणा
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आदेश आज दिनांक 7/9/22 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

राजकेश मीणा
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with OKEN Scanner